1. In the court of Abhishek.K.Das, Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
B.P. No. 693/2026, dt. 08.04.2026, Soni Mahato vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

जमानत आवेदन संख्या–693 / 2026

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. सोनी महतो वल्द स्व0 द्वारका महतो उम्र करीब 40 वर्ष
ग्राम–राजाबाजार, गोपालपुर, थाना–मोतिहारी नगर, जिला–पूर्वी चम्पारण .....आवेदक ।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी ।

आवेदक की ओर से – श्री विरेन्द्र मिश्रा ,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद, विद्वान लोक अभियोजक।

आदेश

08.04.2026 काराधीन आवेदक / अभियुक्त सोनी महतो की ओर से मोतिहारीं नगर थाना कांड संख्या–1057 / 2025, धारा– 126(2), 109(1), 118(1), 117(2), 109(1), 303(2), 351(2), 352(2) बी.एन.एस.के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 19.02.2026 से कारा में है।

सूचक लखौरा चिमनी से कोयला का बकाया एक लाख पच्चास हजार रूपया लेकर आ रहा था कि रास्ते में पंजुम सहनी, सोनी महतो कुछ अन्य उससे पैसे की मांग किए जब वह इसका विरोध किया तो सोनी महतो जान मारने की नियत से गर्दन में गमछा लपेट कर पटक दिया तथा पंजुम सहनी चाकू से सर पर मारा, इसी क्रम में पंजुम सहनी और सोनी महतो उसके पॉकेट से एक लाख पच्चास हजार रूपया निकाल लिया।

जमानत आवेदन की कंडिका–2, में कहा गया है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित / अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा कंडिका–4 में कहा गया है कि आवेदक दिनांक 19.02. 2026 से कारा में निरूद्ध है।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसे गलत नियत से इस मामले में झूठा आरोपित किया गया हैं । आवेदक के विरूद्ध आरोपित धाराएं आकर्षित नहीं होता है। आवेदक के पास से

कोई अपराधारोपक सामग्री बरामद नहीं हुआ है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है । कांड दैनिकी की कंडिका– 40 के अनुसार जख्मी मुरारी सहनी को कारित जख्म कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित साधारण प्रकृति का पाया गया है। आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। सह अभियुक्त पंजुम सहनी को जमानत आवेदन संख्या– 3197/2025 के द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। आवेदक के विरूद्ध भी उसी प्रकार के आरोप है। कांड दैनिकी की कंडिका– 44 के अनुसार आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज होना अंकित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध आरोप की प्रकृति, आवेदक का पूर्व स्वच्छ आपराधिक वृति एवं आवेदक के कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त सोनी महतो की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक विचारण में सहयोग करेंगे।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 08.04.2026